न्यायालय : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.)

समक्षः कु0 उर्मिला यादव

Registration No.	S.C. 82/2024
Filling No.	841/2024
CNR No.	MP3907-001142-2024
Filling Date.	13-06-2024

(**निर्णय दिनांक 28 / 07 / 2026**) (विशेष प्रकरण क्रमांक 82 / 2024) (प्र.सू.रि. / अपराध और पुलिस थाने का विवरण थाना नरसिंहगढ़, अपराध क्रमांक–257 / 2024)	
परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री संजय कुमार, ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	दिनेश कुशवाह पिता नरसंगलाल कुशवाह, आयु–23 वर्ष, निवासी ग्राम आंदलहेड़ा, थाना नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री शकेब अली अधिवक्ता।
अपराध की तारीख	01 / 05 / 2024
प्र.सू.रि. की तारीख	01 / 05 / 2024
आरोप पत्र की तारीख	05 / 06 / 2024
आरोपो की विरचना की तारीख	14 / 08 / 2024

साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	17/11/2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	28/07/2026
निर्णय की तारीख	28/07/2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 468 बीएनएसएस के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
A-1	दिनेश कुशवाह	08-05-2024	06-06-2024	धारा–363, 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं धारा–5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	**दोषमुक्त**	**निरंक**	दिनांक 09.05.24 से दिनांक 06.06.24 तक कुल 29 दिवस

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी

अभियोजन साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
(अ0सा0–1)	अभियोक्त्री	आहत साक्षी
(अ0सा0–2)	अभियोक्त्री भाई	चक्षु साक्षी

(अ0सा0–3)	उपनिरीक्षक नाथू केरकेट्टा	पुलिस साक्षी
(अ0सा0–4)	उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह गुर्जर	पुलिस साक्षी
(अ0सा0–5)	डॉ0राजेश दांगी	चिकित्सक साक्षी
(अ0सा0–6)	डॉ0 मोनिका गर्ग	चिकित्सक साक्षी
(अ0सा0–7)	अभियोक्त्री चाचा	चक्षु साक्षी
(अ0सा0–8)	रंजना शर्मा	शिक्षक साक्षी
(अ0सा0–9)	सहा0उपनिरीक्षक सीता यादव	पुलिस साक्षी

ख. बचाव साक्षी, यदि कोई हो:–

बचाव साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
	निरंक	

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो:–

न्यायालयीन साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
	निरंक	

दस्तावेजों / प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन दस्तावेजों / प्रदर्शो की सूची :–

स. क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**	**किस साक्षी ने प्रमाणित किया**
1	प्रदर्श पी0–1	दस्तयाबी पंचनामा	अ0सा0–1

2	प्रदर्श पी0–2	अभियोक्त्री धारा–164 द.प्र.सं. कथन	अ0सा0–1
3	प्रदर्श पी0–3	अभियोक्त्री पुलिस कथन	अ0सा0–1
4	प्रदर्श पी0–4	मेमोरेण्डम कथन	अ0सा0–2
5	प्रदर्श पी0–5	संपत्ति जप्ती पंचनामा	अ0सा0–2
6	प्रदर्श पी0–6	अभियोक्त्री भाई पुलिस कथन	अ0सा0–2
7	प्रदर्श पी0–7	गुम इंसान रिपोर्ट	अ0सा0–3
8	प्रदर्श पी0–8	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अ0सा0– 3
9	प्रदर्श पी0–9	घटनास्थल नक्शामौका	अ0सा0–4
10	प्रदर्श पी0–10	बाल कल्याण समिति को पत्र	अ0सा0–4
11	प्रदर्श पी0–11	गिरफतारी पंचनामा	अ0सा0–4
12	प्रदर्श पी0–12	संपत्ति जप्ती पंचनामा	अ0सा0–4
13	प्रदर्श पी0–13	अभियुक्त मेडिकल फार्म	अ0सा0–4
14	प्रदर्श पी0–14	अभियुक्त पहचान फार्म	अ0सा0–4
15	प्रदर्श पी0–15	संपत्ति जप्ती पंचनामा	अ0सा0–4
16	प्रदर्श पी0–16	एफ.एस.एल. ड्राफट	अ0सा0–4
17	प्रदर्श पी0–16ए	प्रमाणीकरण पत्र	अ0सा0–8
18	प्रदर्श पी0–17	एफ.एस.एल. ड्राफट पावती	अ0सा0–4
19	प्रदर्श पी0–17सी	स्कॉलर रजिस्टर प्रमाणित प्रति	अ0सा0–8
20	प्रदर्श पी0–18	डी0एन0ए0 परीक्षण रिपोर्ट	अ0सा0–4
21	प्रदर्श पी0–18ए	संपत्ति जप्ती पंचनामा	अ0सा0–9
22	प्रदर्श पी0–19	संपत्ति जप्ती पंचनामा	अ0सा0–4
23	प्रदर्श पी0–20	अभियुक्त मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट	अ0सा0–5
24	प्रदर्श पी0–21	अभियोक्त्री मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट	अ0सा0–6

ख. प्रतिरक्षा दस्तावेज/प्रदर्शो की सूची :–

स. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण	किस साक्षी ने प्रमाणित किया
1	प्रदर्श डी0–1	अभियोक्त्री चाचा पुलिस कथन	अ0सा0–7

ग. न्यायालयीन दस्तावेज/प्रदर्शो की सूची :–

सरल कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	

घ. आर्टिकल/आवश्यक वस्तुयें (एम0ओ0):–

एम0ओ0 नंबर	मुद्देमाल का विवरण	किस साक्षी ने प्रमाणित किया
	निरंक	

पुलिस थाना नरसिंहगढ़, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के अपराध क.257/2024 अंतर्गत धारा–363, 366ए, 376, 376(2)(एन) बी0एन0एस0 एवं धारा–3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, राज्य विरूद्ध दिनेश कुशवाह में प्रस्तुत अभियोग पत्र से उद्भूत विशेष प्रकरण।

–:: निर्णय ::–

01– अभियुक्त के विरूद्ध धारा–363, 376(2)(एन) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (जिस आगे के चरणों में ''**भा0द0सं0**'' से संबोधित किया जा रहा है) एवं धारा–5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे आगे के चरणों में

''**अधिनियम 2012**'' से संबोधित किया जा रहा है) के अधीन यह आरोप है कि उसने दिनांक 01/05/2024 सुबह 11 बजे से 11.30 बजे के मध्य ग्राम ''एएच'' थाना नरसिंहगढ़ से नाबालिग अभियोक्त्री का व्यपहरण उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उसके संरक्षक की सहमति के बिना किया एवं दिनांक 01/05/2024 से 02 माह पूर्व अभियोक्त्री के घर पर अवयस्क अभियोक्त्री के साथ उसकी सहमति से अथवा सहमति के बिना एक से अधिक बार बलात्संग कारित किया तथा उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री पर एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

02— **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 228ए** के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य एवं न्याय दृष्टांत् **भूपेन्द्र शर्मा विरूद्ध हिमाचल राज्य 2003(8) एस.सी.सी. 551 एवं निपुन सक्सेना विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया 2019(2) एस.सी.सी. 730** में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार अभियोक्त्री का नाम प्रकट न करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः अभियोक्त्री की पहचान प्रकट न हो इसलिये प्रकरण में अभियोक्त्री का नाम, अभियोक्त्री के माता एवं पिता का नाम उल्लेखित नहीं किया जा रहा है और उनके नाम के स्थान पर अभियोक्त्री और अभियोक्त्री से उनके संबंध मात्र उल्लेखित किये जायेंगे।

03— अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री के चाचा ने थाना नरसिंहगढ़ उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 01/05/2024 को उसकी भतीजी अभियोक्त्री सुबह करीब 11 बजे कुऐं पर गई थी, जो वापस नही आई थी, बिना बताये कही चली गई। उसे शंका है कि उनके गांव का दिनेश कुशवाह अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले गया है। अभियोक्त्री के चाचा की उक्त रिपोर्ट पर से थाना नरसिंहगढ में गुमशुदगी क्र.34/2024 एवं अपराध क्रमांक 257/2026 धारा 363 भा0द0सं0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये। न्यायालय में अभियोक्त्री के

धारा–164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध करवाये गये। अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण करवाया गया।

04– अनुसंधान के क्रम में अभियोक्त्री की जन्मतिथि के संबंध में उसके विद्यालय से आयु का प्रमाणीकरण एवं स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। विवेचना उपरांत थाना नरसिंहगढ़ अपराध क्र.257/2024 अंतर्गत धारा–363, 366ए, 376, 376(2)(एन) भा0द0सं0 एवं धारा–3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का इजाफा किया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री को पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के ड्राफट के माध्यम से रासायनिक परीक्षण हेतु संयुक्त संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05– अभियुक्त पर उपरोक्त कंडिका–1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोप से इंकार करते हुये विचारण चाहा गया।

06– अभियोजन की ओर से मामला प्रमाणित किये जाने हेतु अ0सा0–1 लगायत अ0सा0–9 जैसा कि उपरोक्त सारणी में उल्लेखित है, को परीक्षित कराया गया है व उपरोक्त सारणी अनुसार दस्तावेज प्रदर्शांकित कराये गये है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित किये जाने उपरांत अभियुक्त का धारा–313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया जिसमें अभियुक्त ने उसके एवं अभियोक्त्री के परिवार के मध्य पूर्व से विवाद था, जिसकी रंजिश के कारण झूठा फंसाया जाना एवं उसका निर्दोष होना व्यक्त किया है। अभियुक्त की ओर से बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

07– प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना है कि :–

1— क्या दिनांक 01/05/2024 को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री होकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2 उपधारा डी के तहत बालक की श्रेणी की हैं ?

2— क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 01/05/2024 सुबह 11 बजे से 11.30 बजे के थाना नरसिंहगढ़ क्षेत्रांर्गत नाबालिग अभियोक्त्री का व्यपहरण उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उसके संरक्षक की सहमति के बिना किया ?

3— क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 01/05/2024 से 02 माह पूर्व अभियोक्त्री के घर पर अवयस्क अभियोक्त्री के साथ उसकी सहमति से अथवा सहमति के बिना एक से अधिक बार बलात्संग कारित किया ?

4— क्या अभियुक्त द्वारा उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री पर एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक—1

08— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई व्यक्ति बालक है या नहीं यह प्रश्न उठता है तो विशेष न्यायालय इसका समाधान कर सकता है, परंतु आयु का निर्धारण कैसे होगा इस संबंध में कोई प्रक्रिया या प्रावधान अधिनियम में नहीं है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **जरनेल सिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य (2013) लॉ सूट सुप्रीम कोर्ट 515** में प्रतिपादित किया है कि अन्य प्रावधान के अभाव में अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत विधि का उल्लघंन करने वाले

बालक का किया जाता है। यह घटना वर्ष 2024 की होने से नवीन किशोर अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे जहां धारा 94 के तहत जन्म प्रमाण पत्र स्कूल के दस्तावेज को उम्र के संबंध में उचित साक्ष्य उपधारित किया गया है।

09— जब किसी बालक को बोर्ड या समिति के समक्ष लाया जाता है तब सर्वप्रथम बोर्ड या समिति धारा 94(1) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार बालक की आयु के संबंध में स्पष्ट अभिमत देगा। यदि बोर्ड या समिति बालक की आयु के संबंध में स्पष्ट राय कायम करने में सक्षम नहीं है तब बोर्ड या समिति धारा 94(2) किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम 2015 अनुसार बालक की आयु के निर्धारण की प्रकिया के संबंध में उक्त बालक के विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समक्ष प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो प्राप्त करेगा। उक्त के अभाव में निगम या नगर पालिका या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और यदि उक्त दस्तावेजों का अभाव है तब बालक की अस्थि जांच या अन्य कोई नवीनतम चिकित्सकीय जांच कराकर उसकी आयु का अवधारण कराया जायेगा। अतः उक्त प्रावधान अनुसार अवयस्क की जन्मतिथि के संबंध में विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा मेट्रिकुलेशन या समकक्ष कक्षा का बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को प्रथम वरीयता दी गई है। उपरोक्तानुसार मेट्रिकुलेशन या समकक्ष कक्षा के प्रमाण पत्र या किसी भी कक्षा के विद्यालय द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र को एक ही स्तर (सामान्य स्तर) का माना गया है। अतः अभियोजन प्रथम वरीयता के अंतर्गत या तो विद्यालय द्वारा किसी भी कक्षा के अध्ययनरत छात्र के संबंध में जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र अथवा मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, को प्रस्तुत व प्रमाणित कर अवयस्क की आयु प्रमाणित कर सकता है।

10— अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री की आयु प्रमाणित करने हेतु शिक्षक रंजना शर्मा अ0सा0—8 के कथन कराये गये हैं। शिक्षक रंजना

शर्मा अ0सा0–8 ने अभिकथित किया है कि वह अभियोक्त्री द्वारा अध्ययनरत विद्यालय में 1998 से प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। पुलिस थाना नरसिंहगढ़ द्वारा अभियोक्त्री की आयु के संबंध में स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर एवं प्रमाणीकरण पत्रक मांगा गया था। उसने स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर के आधार पर थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ को पत्र प्र.पी.16 जारी किया था। वह अपने साथ स्कूल का मूल स्कॉलर रजिस्टर लेकर आई है। स्कॉलर रजिस्टर के स्कॉलर क्रमांक 2417 पर ए से ए भाग पर अभियोक्त्री का नाम एवं बी से बी भाग पर अभियोक्त्री की जन्म तारीख 16/08/2007 लेख है। अभियोक्त्री को उनके विद्यालय में दिनांक 10/07/2013 को कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था। मूल स्कॉलर रजिस्टर प्र.पी.17 है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.17सी है। पुलिस द्वारा स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं पत्र की प्रति जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.5 बनाया था। उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह गुर्जर अ0सा0–4 ने भी अपने कथनों में अभियोक्त्री के विद्यालय से आयु के संबंध में स्कॉलर रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0–5 के अनुसार जप्त किये जाने की पुष्टि की गई है।

11– अभियोक्त्री ने स्वयं को 19 वर्ष की होना, अभियोक्त्री के भाई ने अभियोक्त्री का 19 वर्ष की होना एवं अभियोक्त्री के चाचा ने अभियोक्त्री के 16–17 वर्ष की होने के संबंध में कथन किया है।

12– बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क के दौरान व्यक्त किया कि अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री की उम्र अंदाज से बताये जाना व्यक्त किया है एवं अभियोक्त्री की जन्म तिथि स्कॉलर रजिस्टर में किस आधार पर लेख की गई है इसके संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है, जिससे स्कूल का रजिस्टर में लिखित जन्म तिथि विश्वसनीय नहीं है।

13– स्कूल के रजिस्टर के संबंध में या स्कूल के दस्तावेजों के बावत **न्यायदृष्टांत बीरदमल सिंघवी विरूद्ध आनंद पुरोहित ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1796** अवलोकनीय है, जिसके अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान रखे गये पुस्तक

रजिस्टर या अभिलेख में प्रविष्टि की जाती है, वह सुसंगत तथ्य है लेकिन स्कूल के अभिलेख में की गई प्रविष्टि किसी व्यक्ति के उम्र के बारे में वह उम्र किस आधार पर अभिलिखित की गई है, इसकी सामग्री के अभाव में अधिक साक्ष्यिक मूल्य नही रखती।

14— रंजना शर्मा अ0सा0—8 अभियोक्त्री के अध्ययनरत स्कूल के शिक्षक है, उन्होने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री के स्कूल में प्रवेश के समय वह विद्यालय में पदस्थ नही थी। अभियोक्त्री के माता—पिता द्वारा अभियोक्त्री के जन्म के संबंध में कोई भी दस्तावेज नही दिया गया था तथा स्वतः व्यक्त किया है कि आंगनवाड़ी का कागज दिया था। यह स्वीकार किया है कि आंगनवाड़ी का कागज भी उसने नही देखा है, जिसमें अभियोक्त्री का नाम लिखा हो। आंगनवाड़ी द्वारा कागज देना अनुमान के आधार पर बता रही है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि छात्र के माता—पिता द्वारा अनुमान के आधार पर उनकी जन्मतिथि बताने पर वह उनकी जन्मतिथि लिख लेते थे। इस प्रकार रंजना शर्मा अ0सा0—8 ने अभियोक्त्री की जन्मतिथि विद्यायल में किस आधार पर लेख की गई है, अपने प्रतिपरीक्षण में नही बताया है तथा स्वतः माता—पिता द्वारा अनुमान के आधार पर आयु लेखबद्ध कराया जाना व्यक्त किया है, जिससे स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में स्कॉलर क्रमांक 2417 में लेखबद्ध जन्मतिथि 16/08/2007 अभियोक्त्री की वास्तविक जन्मतिथि होने पर संदेह उत्पन्न होता है।

15— अभियोक्त्री ने स्वयं को 19 वर्ष की होना व्यक्त किया है। अभियोक्त्री के चाचा ने यद्यपि अभियोक्त्री को 16—17 वर्ष की होना अपने मुख्य परीक्षण में बताया है किंतु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि अंदाज से बता रहा हूं, उसे नही मालूम की अभियोक्त्री की जन्मतिथि कितनी है, जिससे अभियोक्त्री की आयु 16—17 वर्ष होने के संबंध में अभियोक्त्री के चाचा के कथन प्रतिपरीक्षण में खण्डित हो गये है।

16— इस प्रकार शिक्षक रंजना शर्मा अ0सा0—8 के कथनों से स्कूल में लिखी जन्मतिथि अभियोक्त्री की वास्तविक जन्मतिथि दिनांक

16 / 08 / 2007 होने पर विश्वास नही किया जा सकता है। इस स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि अभियोक्त्री घटना दिनांक 01 / 05 / 2024 को 18 वर्ष से कम होकर लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(घ) के अंतर्गत बालक की श्रेणी में आती है।

विचारणीय बिन्दु कमांक–2 लगायत 4 :–

17– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये दोनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

18– अभियोक्त्री अ0सा0–1 ने अभिकथित किया कि घटना एक साल पहले की है। घटना के दिन उसके परिवार और अभियुक्त के परिवार के मध्य झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था, उसे जानकारी नही है। बाद में अपने पिता के साथ नरसिंहगढ़ थाने पर गई थी, जहां पुलिस वालों ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, हस्ताक्षर किस संबंध में करवाये थे, उसे जानकारी नही है। पुलिस उसे मेडिकल परीक्षण हेतु अस्पताल लेकर नही गई थी। अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण नही हुआ था। पुलिस उसे न्यायालय में लेकर नही आई थी। न्यायालय में उसके बयान नही हुये थे। उसने पुलिस कथन प्र.पी.3 का ए से ए भाग नही देना बताया है।

19– अभियोक्त्री अ0सा0–1 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह अभियुक्त दिनेश से दो साल पहले से बातचीत करती थी, अभियुक्त दिनेश ने उसे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके परिवार और अभियुक्त के परिवार वालों को शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी हो गई थी। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि जानकारी होने पर उसके चाचा व अभियुक्त दिनेश के पापा ने दोनों को समझाया था, दोनों परिवार के

बीच में शादी करने की बात को लेकर असहमति थी। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह अभियुक्त दिनेश के साथ मोटरसाईकिल से नरसिंहगढ़ गई थी, जिसकी जानकारी उसके माता–पिता को होने पर उन्होंने थाने पर रिपोर्ट कर दी थी, रिपोर्ट की जानकारी होने पर अभियुक्त दिनेश ने उसे नरसिंहगढ़ थाने के बाहर छोड़ दिया था। इस प्रकार अभियोक्त्री ने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नही किया है।

20– अभियोक्त्री का भाई अ0सा0–2 भी पक्षद्रोही हो गया है और अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया है कि अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि आरोपी दिनेश उसे मोटरसाईकिल पर बैठाकर नरसिंहगढ़ ले गया था और दो महीने पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। इस प्रकार अभियोक्त्री के भाई अ0सा0–2 ने भी अभियोजन का समर्थन नही किया है।

21– अभियोक्त्री का चाचा अ0सा0–7 ने अभिकथित किया है कि घटना वर्ष 2024 की है। घटना के दिन अभियोक्त्री कुऐं पर गई थी। वे लोग कुऐं पर गये अभियोक्त्री के न मिलने पर प्र.पी.7 की गुमने की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.8 लेख की थी और रिपोर्ट लिखाते समय महेश पर शंका जाहिर की थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद दिन के 5 बजे करीब पुलिस वाले अभियोक्त्री को लेकर आये थे तो उसने थाने में बताया था कि महेश उसे बहला फुसलाकर ले गया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखाते समय पुलिस को शंका जाहिर की थी गांव का दिनेश अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले गया है। नाथू केरकेट्टा अ0सा0–3 ने उपनिरीक्षक भीमसिंह द्वारा गुम इंसान प्र.पी.7 एवं उसके आधार पर अपराध क्र. 257/2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.8 लेख करना व्यक्त किया है। इस प्रकार अभियोक्त्री के चाचा अ0सा0–7 ने आरोपी द्वारा अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में शंका होने के आधार पर रिपोर्ट प्र.पी.8 लेख कराया जाना व्यक्त किया है।

22— डॉ0 मोनिका गर्ग अ0सा0—6 ने अभिकथन किया है कि दिनांक 02/05/2024 को शासकीय अस्पताल नरसिंहगढ़ में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को पुलिस थाना नरसिंहगढ़ से प्रधान आरक्षक सीता यादव द्वारा अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था। उसने अभियोक्त्री की माता की सहमति से अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण किया था। अभियोक्त्री के आंतरिक एवं बाह्य शरीर पर कोई चोट के निशान नही थे। द्वितीयक लैगिंक लक्षण पूर्ण रूप से विकसित थे। उसने अभियोक्त्री की पीले कलर की पेंटी जो कि ब्राउन डिस्चार्ज से सनी हुई थी, दो बैजाईनल स्लाईड एवं प्यूबिक हेयर सीलबंद कर अस्पताल के सील नमूना सहित संबंधित प्रधान आरक्षक को रासायनिक परीक्षण हेतु सौंपा था। उसके द्वारा अभियोक्त्री के संबंध में तैयार मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.21 है। इस प्रकार डॉ0 मोनिका गर्ग अ0सा0—6 ने अभियोक्त्री की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.21 को प्रमाणित करते हुये अभियोक्त्री के आंतरिक एवं बाह्य शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट न होना व्यक्त किया है।

23— सीता यादव अ0सा0—9 ने अभिकथित किया है कि वह दिनांक 02/05/2024 को पुलिस थाना नरसिंहगढ़ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ से डॉ0 मोनिका गर्ग द्वारा 02 सीलबंद पैकेट जिसमें अभियोक्त्री की पेंटी, 02 वैजाईनल स्लाईड एवं प्यूबिक हेयर होना लेख था, साथ में अस्पताल का सील नमूना भी दिया था, जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी.18 उसने अभियोक्त्री के माता—पिता के समक्ष तैयार किया था।

24— डॉ0 राजेश दांगी अ0सा0—5 ने अभिकथित किया है कि वह दिनांक 08/05/2024 को शासकीय अस्पताल नरसिंहगढ़ में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षी केन्द्र नरसिंहगढ़ से उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त दिनेश कुशवाह को उसके समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था। अभियुक्त मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.20 है। उसने अभियुक्त की 02 सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर एवं अभियुक्त अण्डरवियर को सीलबंद कर

अस्पताल सील नमूना सहित साथ आये संबंधित उपनिरीक्षक को सुपुर्द किया था। उसने अभियुक्त पहचान फार्म प्र.पी.14 पर अभियुक्त की फोटो को बी से बी भाग के मध्य अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से प्रमाणित किया था तथा सी से सी भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर है। उसने अभियुक्त का 03 एम.एल. ब्लड ईडीटीए वॉयल में रखकर सीलबंद कर साथ आये संबंधित उपनिरीक्षक को सुपुर्द किया था, जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी.15 पुलिस ने तैयार किया था। इस प्रकार डॉ0 राजेश दांगी अ0सा0–5 ने आरोपी के मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.20 को प्रमाणित किया है और आरोपी के ब्लड सेम्पल लेने की कार्यवाही को प्रमाणित किया गया है।

25— राजेन्द्र सिंह गुर्जर अ0सा0–4 ने अभिकथित किया है कि वह दिनांक 01/05/2024 को पुलिस थाना नरसिंहगढ़ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने अपराध क्र.257/2024 की विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के चाचा के बताये अनुसार घ टनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.9 बनाया था। दिनांक 01/05/2024 को अभियोक्त्री का थाना नरसिंहगढ़ में दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी.1 बनाया था। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के पिता, अभियोक्त्री के चाचा, अभियोक्त्री के दोनों भाई, अभियोक्त्री के फुफा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त दिनेश को साक्षीगण के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था। दिनांक 08/05/2024 को अभियुक्त दिनेश से साक्षीगण के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.4 लिया था। दिनांक 09/05/2024 को अभियुक्त ने अपने घर से पेश करने पर मोटरसाईकिल एम पी 39 एम जी 6375 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.12 बनाया था। उसने अभियुक्त दिनेश का मेडिकल फार्म प्र.पी.13 भरकर सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ भिजवाया था। उसने डॉक्टर के समक्ष अभियुक्त का पहचान फार्म प्र.पी.14 तैयार किया था। मेडिकल परीक्षण उपरांत डॉक्टर ने उसे अभियुक्त का ब्लड सेम्पल ईडीटीए वॉयल में एवं तीन सीलबंद पैकेट प्रथम पैकेट में सीमन स्लाईड, दूसरे पैकेट में अंडरगारमेंटस, तीसरे पैकेट में प्यूबिक हेयर लेख था, साथ में अस्पताल का सील नमूना दिया था, जिनको जप्त कर जप्ती

पंचनामा प्र.पी.15 तैयार किया गया था। दिनांक 09/05/2024 को पुलिस अधीक्षक के ड्राफट प्र.पी.6 के पत्र के माध्यम से जप्तशुदा सामग्री रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भिजवाई थी, जिसकी डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.18 है। विवेचना के दौरान महेन्द्र शर्मा ने अभियोक्त्री के कथनों की डी.व्ही.डी. दी थी, जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी.19 तैयार किया था। इस प्रकार राजेन्द्र सिंह गुर्जर अ0सा0–4 ने प्रकरण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है और डॉक्टर द्वारा आरोपी का ब्लड सेम्पल प्राप्त कर उन्हें जप्त किये जाने के संबंध में डॉ0 राजेश दांगी अ0सा0–5 के कथनों का समर्थन किया है।

26– प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत डी0एन0ए0 रिपोर्ट प्र.पी.18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोक्त्री के स्त्रोत पेंटी (चड्डी) (प्रदर्श ए–H/842) व वैजाईनल स्लाईड व प्यूबिक हेयर (प्रदर्श बी–H/843) से Amplifiable male DNA प्राप्त नही हुआ, इस कारण आरोपी दिनेश के स्त्रोत ब्लड सेम्पल (प्रदर्श सी–H/844), अंडरगारमेंटस (प्रदर्श ई–H/846) व प्यूबिक हेयर (प्रदर्श एफ–H/847) से लिये गये नमूने से प्राप्त Y-chromosome STR डीएनए प्रोफाईल, से मिलान किया जाना संभव नही है। ऐसे में उक्त डी0एन0ए0 रिपोर्ट प्र.पी.18 से भी अभियोजन का कोई लाभ प्राप्त नही होता है।

27– अभियोक्त्री अ0सा0–1 ने अपने कथनों में अभियोजन के इस तथ्य का समर्थन नही किया है कि आरोपी द्वारा उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये गये थे, उसके उपरांत आरोपी उसे नरसिंहगढ़ लेकर गया था। अभियोक्त्री के भाई अ0सा0–2 ने भी अभियोजन इस तथ्य का समर्थन नही किया है कि अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि आरोपी उसे नरसिंहगढ़ लेकर गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। डॉ0 मोनिका गर्ग अ0सा0–6 के कथनों एवं मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.21 में अभियोक्त्री के आंतरिक एवं बाह्य शरीर पर कोई चोट नही पाई गई है। यद्यपि अभियोक्त्री के चाचा अ0सा0–7 ने आरोपी द्वारा अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में कथन किया है एवं प्रकरण की प्रथम सूचना रिर्पोर्ट

प्र.पी.8 लेखबद्ध कराना व्यक्त किया है, किंतु स्वयं अभियोक्त्री ने आरोपी के द्वारा अपने साथ बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में कोई भी कथन नही किया है। इस स्थिति में मात्र अभियोक्त्री के चाचा द्वारा शंका के आधार पर लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अभियोक्त्री का व्यपहरण किये जाने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अंकित नही किया जा सकता है, क्योकि संदेह सबूत का स्थान नही ले सकता है।

28— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत डी0एन0ए0 रिपोर्ट प्र.पी.18 में भी अभियोक्त्री के स्त्रोत पेंटी (चड्डी) (प्रदर्श ए—H/842) व वैजाईनल स्लाईड व प्यूबिक हेयर (प्रदर्श बी—H/843) से Amplifiable male DNA प्राप्त नही हुआ, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्य से भी आरोपी द्वारा ही अभियोक्त्री के साथ संभोग किये जाने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अंकित नही किया जा सकता है। इस स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपी द्वारा अभियोक्त्री का व्यपहरण किया गया एवं अभियोक्त्री के साथ साथ संभोग कर बलात्कार कर उसके साथ बार बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया।

29— इस प्रकार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 4 के विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा अवयस्क अभियोक्त्री का व्यपहरण कर उसकी सहमति के बिना एक से अधिक बार बलात्संग कारित किया एवं 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री पर एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है।

30— अतः परिणामस्वरूप अभियुक्त **दिनेश कुशवाह** को संदेह का लाभ देते हुए धारा—363, 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं धारा—5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

31— आरोपी जमानत पर मुक्त है। आरोपी के जमानत मुचलके

निरस्त किये जाते है। अभियुक्त द्वारा इस अपराध के अन्वेषण एवं विचारण के दौरान निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में पृथक से धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण पत्र बनाया जाये।

32— प्रकरण में जप्तशुदा अभियोक्त्री की वैजाइनल स्लाईड, प्यूबिक हेयर, पेंटी अभियुक्त की सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अण्डरवियर एवं ब्लड सेम्पल मूल्यहीन होने से अपील अवधि के पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जाये। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम पी 39 एम जी 6375 पूर्व से आवेदक/सुपुर्दगीदार सुरेश पिता मांगीलाल कुशवाह, आयु—30 वर्ष, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, थाना नरसिंहगढ़ की सुपुर्दगी पर है, अतः अपील अवधि पश्चात उपरोक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त समझा जावे। प्रकरण में जप्तशुदा स्कॉलर रजिस्टर की सत्यापित प्रति एवं अंतिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत अभियोक्त्री कथन की सी.डी. अभिलेख का भाग रहेंगे। अपील होने की दशा में जप्तशुद्धा संपत्तियों के संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

33— धारा 365 द.प्र.सं. एवं नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 255(च) के अनुपालन में निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट राजगढ़ की ओर सूचनार्थ भेजी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

URMILA YADAV Digitally signed by URMILA YADAV Date: 2026.07.28 18:07:21 +0530

कु0 उर्मिला यादव
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, म0प्र0

मेरे निर्देशन में टंकित।

URMILA YADAV Digitally signed by URMILA YADAV Date: 2026.07.28 18:07:26 +0530

कु0 उर्मिला यादव
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, म0प्र0